– आदेश –

जनपद चमोली में प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना अन्तर्गत धुर्मा–कुण्डी मोटर मार्ग के किमी0 02 से मोखमल्ला तक मोटर मार्ग के निर्माण से प्रभावित होने वाली 3.275 है0 वन भूमि के सापेक्ष क्षतिपूरक वृक्षारोपण के लिए चिन्हित 6.55 है0 सिविल सोयम भूमि का वन विभाग के पक्ष में नामान्तरण/हस्तान्तरण किये जाने हेतु भारत सरकार पर्यावरण एवं वन मंत्रालय द्वारा सैद्धान्तिक स्वीकृति प्रदान की गई है।

अतएव उप महानिरीक्षक, वन(के0), पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, क्षेत्रीय कार्यालय देहरादून के पत्र सं0–08बीं/यू0सी0पी0/06/111/2019/एफ0सी0/884 दिनांक 07.8.2020 की शर्त सं0–3(क) के अनुसार उप जिलाधिकारी चमोली की सत्यापन आख्या के आधार पर प्रस्तावित जनपद चमोली में प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना अन्तर्गत धुर्मा–कुण्डी मोटर मार्ग के किमी0 02 से मोखमल्ला तक मोटर मार्ग के निर्माण से प्रभावित होने वाली 3.275 है0 वन भूमि के सापेक्ष क्षतिपूरक वृक्षारोपण के एवज में ग्राम कुण्डी प0वृ0 मोख, तहसील घाट की सीमान्तर्गत चिन्हित ख0खा0सं0–13 के खसरा सं0–1595 रकबा 5.035 है0, खसरा सं0–1600 रकबा 0.421 है0, खसरा सं0–1601 रकबा 0.133 है0, खसरा सं0–1612 रकबा 0.678 है0 एवं खसरा सं0–1621 करबा 0.284 है0 अर्थात कुल 6.551 है0 भूमि, जो कि नॉनजेडए श्रेणी–10(4) भीटा के रूप में दर्ज है, को वन विभाग के पक्ष नामान्तरण/हस्तान्तरण किये जाने की स्वीकृति शासनादेश सं0–2173/XVIII (II) /2012–18(120) /2010 दिनांक 17, दिसम्बर 2012 के अनुसार प्रदान की जाती है।

YEAR (2020-2021)
DISTRICT NO. XXVI - 5
REGISTER NO. 992
DATE 27-10-2020

(स्वाति एस0 भदौरिया),
जिलाधिकारी,
चमोली।

कार्यालय जिलाधिकारी चमोली।

संख्याः759 /छब्बीस–5 (2020–2021) गोपेश्वरः दिनांकः 27 अक्टूबर, 2020

प्रतिलिपिः– निम्नांकित को सूचनार्थ एंव आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1. अपर प्रमुख, वन संरक्षक एवं नोडल अधिकारी, वन संरक्षण, इन्दिरानगर फॉरेस्ट कालोनी, उत्तराखण्ड देहरादून।
2. सचिव, राजस्व विभाग, उत्तराखण्ड शासन देहरादून।
3. अपर सचिव, वन एवं पर्यावरण अनुभाग–4 उत्तराखण्ड शासन, देहरादून।
4. आयुक्त एवं सचिव, राजस्व परिषद, उत्तराखण्ड, देहरादून।
5. आयुक्त, गढ़वाल मण्डल पौड़ी।
6. उप जिलाधिकारी/तहसीलदार, चमोली/घाट।
7. प्रभागीय वनाधिकारी, बद्रीनाथ वन प्रभाग गोपेश्वर।
8. भू–लेख अधिकारी, जिला कार्यालय चमोली।
9. उप प्रबन्धक, पी0आई0यू0, एन0पी0सी0सी0 लि0, देहरादून।

जिलाधिकारी,
चमोली।

28/10/2020

खतौनी [illegible] फसली [illegible] ग्राम [illegible]
तहसील- घाट जनपद – चमोली।

श्रेणी 10(4) – अन्य कारणों से अकृषित भूमि

1	2	3	4	5	6	7	15 to 21
-	13	[illegible]	-	351	0.083		सि० उ० नि०–राजस्व–[illegible] के आदेश सं० 759/26-5 (2020-21) दि० 27/8/2020 के क्रम में खसरा नम्बर 1595 रकबा 5.035 हे० 1600 रकबा 0.421 हे० 1601 रकबा 0.133 हे० 1612 रकबा 0.678 हे० एवं 1621 रकबा 0.284 हे० (कुल 6.551 हे०) [illegible] प्रयोजनार्थ हेतु [illegible] के पक्ष में [illegible] [illegible] [illegible] किया। [illegible] आदेश।
				355	0.029		
				835	0.056		
				836	0.015		
				xxx	xxx		
				xxx	xxx		
				xxx	xxx		
				xxx	xxx		
				1595	5.035		
				1600	0.421		
				1601	0.133		
				1612	0.678		
				1621	0.284		
				1626	0.063		
				1632	0.037		
				1680	0.501		
				1769	0.141		
				1829	0.078		
				1843	0.870		
				1864	1.377		
				1874	1.987		
				1875	0.359		
				1899	1.705		
				1926	1.121		
		योग		38	17.288 हे०		

नोट: खतौनी [illegible] अभिलेख से तैयार कर नियत की गई है।

09/11/2020
कुलदीप शाह
राजस्व उप निरीक्षक
क्षेत्र...Mokh......
तहसील–घाट(चमोली)।

Scanned by CamScanner